

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -523 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 23/08/2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पेय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी 0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 4.335 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/6274/2020।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 357/12-1 दिनांक 20.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा बिन्दु सं० 2 के प्रतिउत्तर में अवगत कराया है कि "उक्त मोटर मार्ग का निर्माण टी०एन० गोडावर्मन बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 से पूर्व का प्रकरण होने के कारण इस अवधि से पूर्व सिविल भूमि में निर्मित योजनाओं में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं है"।

इस सम्बन्ध में यदि उच्च स्तर से कोई शासनादेश अथवा पत्र प्राप्त हुआ है तो उसे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।